



मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
गौरा देवी पर्यावरण मन्त्रनालय, आई०टी० पार्क, सहस्रद्वारा रोड, देहरादून
Web: www.ueppcb.uk.gov.in E-mail: msukpcb@yahoo.com Ph.No. 2976157, 2976158, 2607092

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

श्री दीवान सिंह पपोला, ग्राम पपोली, पो० काफली, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम खाटीगाँव एवं रंगदेव, तहसील एवं जिला बागेश्वर में सोपस्टोन माइनिंग (क्षेत्रफल-8.529 है०) की पूर्व पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधार निधारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्भृत प्रस्तावक के द्वारा ड्राइपट पर्यावरण प्रमाण मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथार्थाधित) के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के नियन्त्रण से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाधार पत्रों के माध्यम से जारी आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु “पैनल” की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप नियन्त्रित है:-

- जिलाधिकारी, जनपाल बागेश्वर या उनके द्वारा नामित / अधिकृत प्रतिनिधि जो जिला स्तरीय अधिकारी हो - लोक सुनवाई के आधार।

- हो — लोक सुनवाई के अध्ययन।
 2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।
 प्रस्ताव से सम्बन्धित जगमा समस्त अधिकारी (i) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25—सुभाष रोड, देहरादून (ii) सुखालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी पर्यावरण भवन, 46-बी, आईटीटी पार्क, सहस्रनगरा रोड, देहरादून (iii) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदृष्टण नियंत्रण बोर्ड, आदास निकास कालोनी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल (iv) कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर (v) कार्यालय, जिला पंचायत, बागेश्वर (vi) जिला उद्योग केंद्र, बागेश्वर में उपलब्ध हैं, जिनका कोई भी इच्छुक संस्था / व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। ड्रापट पर्यावरण प्रशासन मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति www.uieppcb.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

श्री दीवान सिंह पापोला, ग्राम पापोला, पौर कफली, तहसील एवं जिला बागेश्वर द्वारा ग्राम खाटीगांव एवं संदेह, तहसील एवं जिला बागेश्वर में सोपरस्टोन माइनिंग (स्ट्रीफ्रल- 8.529 ह०) की पूर्व पर्यावरणीय स्थीरकृत हेतु लोक सुनवाई दिनांक 12.05.2023 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोविड-19 के संदर्भ में विद्यमान SoP के अधीन सोशल डिस्टेंसिंग, आवश्यक रूप से मारक का प्रयोग, धर्मल स्कॉनिंग एवं हैंडवाश व संटाइज़र तथा अच्युत्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका इत्पर्याणीयों एवं आपत्तियों इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदेश नियंत्रण बोर्ड, आयास विकास कालोगी, हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित कर सकते हैं अथवा लोक सुनावई के समय भूरुत कर सकते हैं।

पत्रांक: गृहपीपीसीवी / एचओ० / NOC-7801/1744 दिनांक: 29.03.2023

सदस्य साधक
चतुराखण्ड पदध्यन नियंत्रण बोर्ड

અમાય ઉત્તરવિભાગ 30/3/2023

• 100 •

5149 361(alt) - 30/3/2023